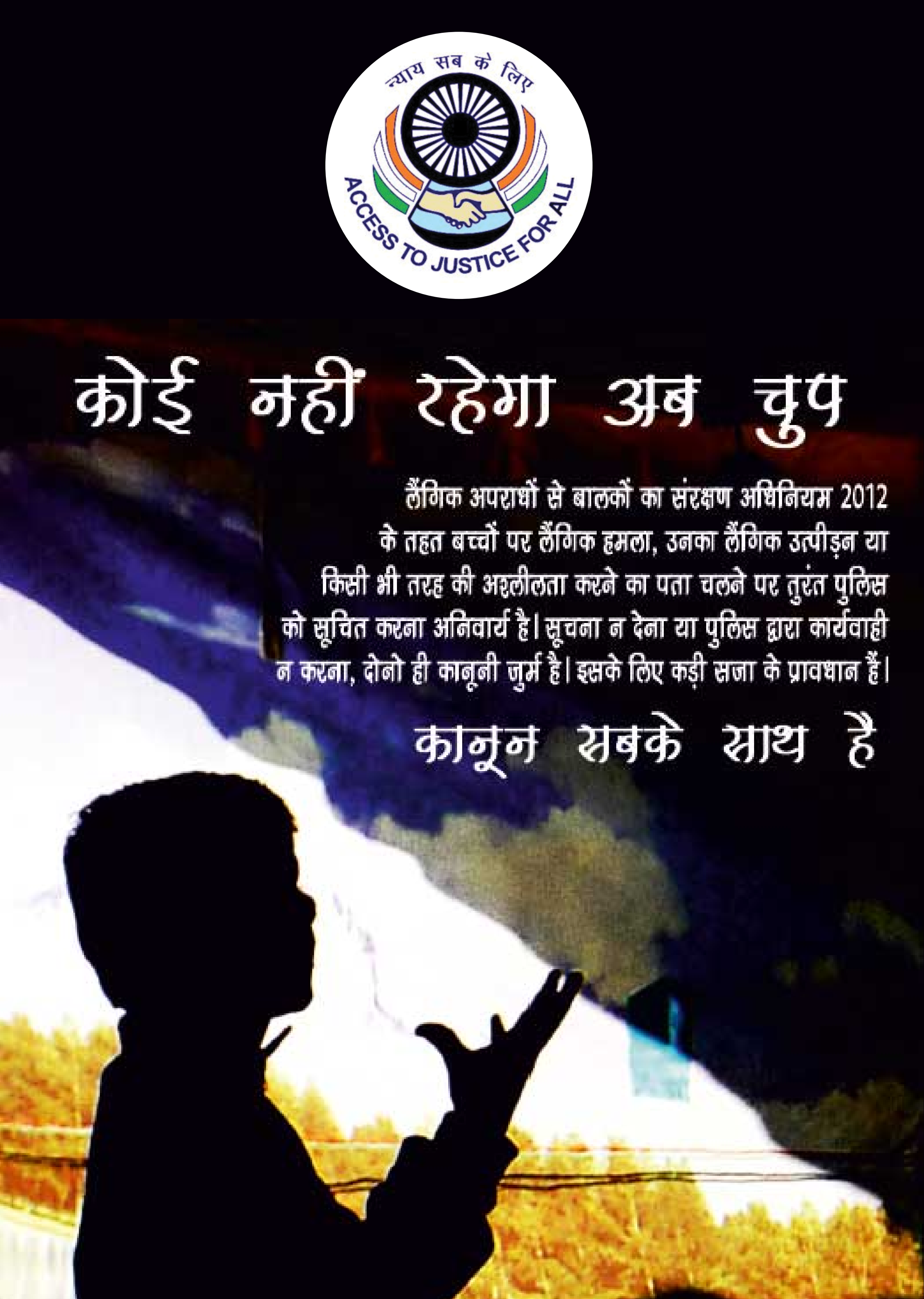

कोई नहीं रहेगा अब चुप

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत बच्चों पर लैंगिक हमला, उनका लैंगिक उत्पीड़न या किसी भी तरह की अश्लीलता करने का पता चलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। सूचना न देना या पुलिस द्वारा कार्यवाही न करना, दोनों ही कानूनी जुर्म है। इसके लिए कड़ी सज़ा के प्रावधान हैं।

कानून सबके साथ है

——— हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ———

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012

1. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) अधिनियम, 2012 लागू करने के उद्देश्य क्या हैं?

A. POCSO अधिनियम, 2012 को लागू करने के उद्देश्य बच्चों को विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों से बचाना और मामलों को त्वरित निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना है।

2. POCSO अधिनियम, 2012 के तहत एक बच्चे के रूप में किसको परिभाषित किया गया है?

A. POCSO अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है. (Section 2)

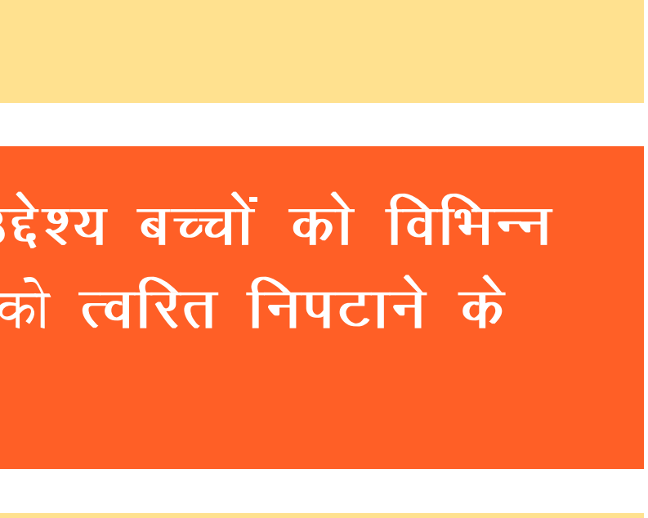

3. क्या अपराध का उकसाव (abetment of an offence) या अपराध करने का प्रयास (attempt to commit an offence) दंडनीय है?

A. जी हाँ, अपराध का उकसाव (abetment of an offence) या अपराध करने का प्रयास (attempt to commit an offence) दोनों ही अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। (धारा 16)

4. यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का बार–बार या लगातार पीछा करे या सीधे संपर्क करे या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या किसी अन्य साधन से बच्चे से संपर्क करे तो क्या वह यौन उत्पीड़न होगा?

A. जी हाँ, बच्चे का बार–बार या लगातार पीछा करना या सीधे संपर्क करना या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या कोई अन्य साधन से बच्चे से संपर्क करना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है और POCSO अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।

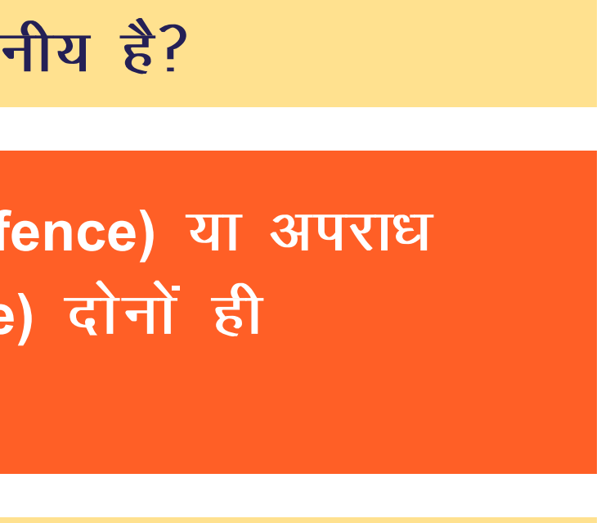

5. यौन अपराधों के लिए या अपराध के उकसाव के लिए क्या दण्ड दिया जा सकता है?

A. यौन अपराधों के लिए या अपराध के उकसाव के लिए 10 साल की कैद से लेकर उम्र कैद और जुर्माना किया जा सकता है।

6. क्या POCSO अधिनियम के अंतर्गत लड़के के खिलाफ यौन अपराध शामिल है?

A. जी हाँ, POCSO अधिनियम के तहत एक लड़के के खिलाफ यौन अपराध भी शामिल है। अधिनियम लड़के और लड़की के बीच अंतर नहीं करता।

7. CWC (बाल कल्याण समिति) क्या है?

A. बाल कल्याण समिति एक सांविधिक निकाय है जो सक्षम प्राधिकारी है उन बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है और उनके लिए उचित देखभाल, उपचार, संरक्षण, विकास और पुनर्वास उपलब्ध करवाती है।

8. SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई) क्या है?

A. विशेष किशोर पुलिस इकाई एक सांविधिक निकाय है जिसमें एक बाल कल्याण अधिकारी होता है जिसका पद एक पुलिस इंस्पेक्टर का होता है और उसमें दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जिसमें एक महिला होती है जिनके पास बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हो।

9. स्पेशल कोर्ट क्या है?

A. मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल प्रदान करने और बाल अनुकूल माहौल में मामले की सुनवाई के लिए POCSO अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय स्थापित किया है। POCSO अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के निपटारे के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके प्रत्येक जिले के लिए एक POCSO विशेष अदालत स्थापित करेगी जिसका पीठासीन अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है।

10. Trial के दौरान POCSO अधिनियम के तहत विशेष अदालत की भूमिकाएँ क्या हैं?

A. मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायालय को निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

- मामले की सुनवाई के दौरान एक परिवार के सदस्य, एक अभिभावक, एक दोस्त या एक रिश्तेदार, जिसमें बच्चे को विश्वास हो, उपस्थित होने की अनुमति देकर बच्चे के अनुकूल माहौल बनाया जाता है।
- समय समय पर बच्चे के लिए मामले की सुनवाई के दौरान ब्रेक की अनुमति दी जाती है और उसका विश्वास जगाया जाता है।
- सुनिश्चित किया जाता है कि गवाही के लिए बच्चे को बार–बार अदालत में नहीं बुलाया जाए।
- बच्चे से जिरह के दौरान आक्रामक पूछताछ और चरित्र हत्या की अनुमति नहीं दी जाती है।
- प्रयास किया जाता है कि बच्चे की गरिमा बनी रहे ।
- बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाता। (Section 33).

11. क्या स्पेशल कोर्ट पीड़ितों को मुआवजा दे सकता है?

A. जी हाँ, विशेष अदालत अपने आप या पीड़ित की ओर से दायर किए गए आवेदन पर पीड़ित को मुआवजा दे सकती है। विशेष अदालत राहत या पुनर्वास के लिए बच्चे की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश भी पारित कर सकती है। (Rule 7).

12. मुआवजे का भुगतान कौन करेगा और मुआवजे का भुगतान कितने समय के भीतर होगा?

A. राज्य सरकार पीड़ित को मुआवजा का भुगतान करेगी जो आदेश की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, पीड़ित मुआवजा कोष या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य योजना या निधि के अनुसार करना होगा। इस मुआवजे को हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतीकार स्कीम, 2019 के तहत या NALSA की महिला पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना / यौन उत्पीड़न से बचे / अन्य अपराध – 2018 योजना के तहत किया जाएगा।

13. क्या बच्चे का बयान पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है?

A. जी नहीं। किसी भी परिस्थिति में एक बच्चे का बयान पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया जा सकता। (Section 24)

14. बच्चे का बयान कहां दर्ज किया जाता है?

A. बच्चे का बयान उसके निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर या ऐसे अन्य स्थान पर दर्ज किया जाएगा जहाँ वह आमतौर पर रहता है, जहाँ तक संभव हो, एक महिला अधिकारी द्वारा बच्चे का बयान दर्ज किया जाता है और बच्चे का बयान दर्ज करते समय, पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होता है। (Section 24)

15. अगर पीड़ित लड़की है, तो क्या पुरुष डॉक्टर पीड़ित की मेडिकल जांच कर सकता है?

A. जी नहीं। यदि पीड़ित लड़की बालिका है, तो पुरुष चिकित्सक पीड़ित की चिकित्सीय जांच नहीं करेगा। इस तरह की चिकित्सीय जांच एक महिला चिकित्सक द्वारा उसके माता–पिता या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी, जिस पर बच्चे को भरोसा या विश्वास हो। (Section 27)

16. क्या बच्चे को कानूनी सहायता लेने का अधिकार है?

A. जी हाँ, बच्चे को कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। यदि बच्चे के माता–पिता या अभिभावक कानूनी परामर्श देने में असमर्थ हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण एक वकील प्रदान करेगा। (Section 40)

17. क्या मीडिया को पीड़ित की पहचान का खुलासा करने से रोक दिया गया है?

A. जी हाँ। POCSO अधिनियम ने मीडिया को पीड़ित की पहचान का खुलासा करने पर रोक है, जिसमें पीड़ित का नाम, पता, परिवार का विवरण, तस्वीर, स्कूल, पड़ोस आदि शामिल हैं। (Section 23)

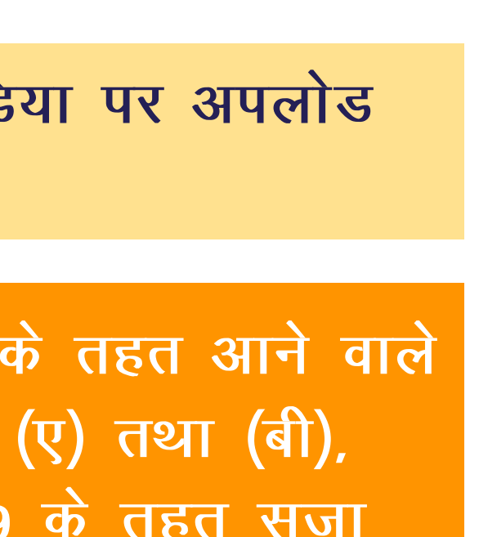

18. POCSO एक्ट के तहत किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है?

A. POCSO एक्ट के तहत अपराध करने वाले या अपराध करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।

19. अगर किसी बच्चे का अश्लील विडियो कोई सोशल मीडिया पर अपलोड करता है तो उस पर क्या कार्यवाही की जा सकती है?

A. चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध माना जाता है. इसके तहत आने वाले मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67 (ए) तथा (बी), आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है. जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर पांच साल तक की जेल या दस लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है लेकिन दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा सात साल तक बढ़ सकती है. इसमें बाद में POCSO एक्ट भी लगाया जा सकता है. चाइल्ड पोर्न को पब्लिश करना, बांटना, बेचना ब्राउजिंग और डाउनलोड करना भी आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध है।

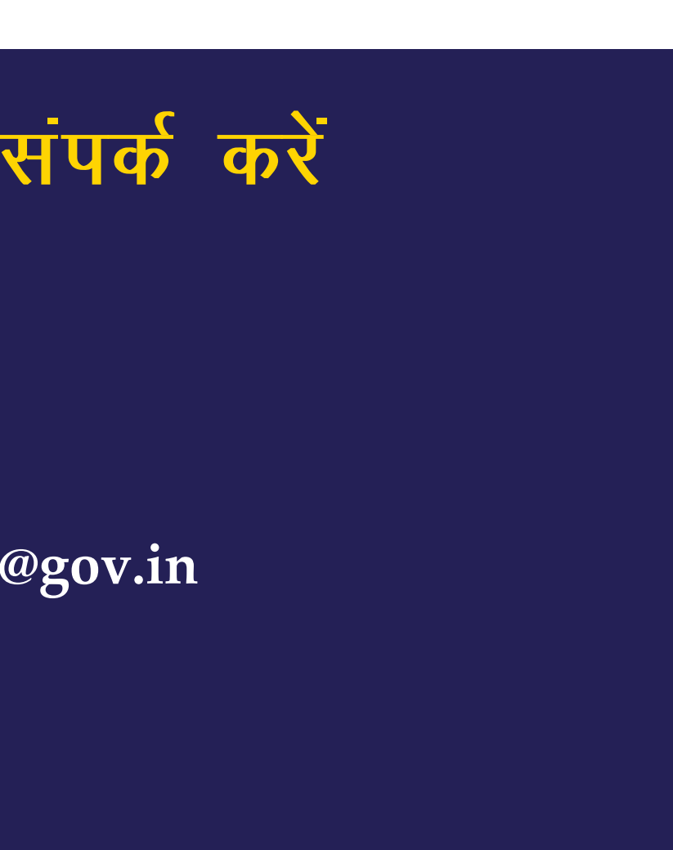

अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें

बिलासपुर
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174001
Tel: 01978-221452 e-mail: secy-dlsa-bil-hp@gov.in

चंबा
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176310
Tel: 01899-226309, e-mail: secy-dlsa-cha-hp@gov.in

हमीरपुर
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–177001
Tel- 01972-224399, e-mail: secy-dlsa-ham-hp@gov.in

कांगड़ा स्थित धर्मशाला
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश–176215
Tel- 01892-222370, e-mail: secy-dlsa-kan-hp@gov.in

किन्नौर स्थित रिकांग पिओ
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
किन्नौर स्थित रिकांग पिओ, हिमाचल प्रदेश–172001
Tel- 01786-223605, e-mail: secy-dlsa-kin-hp@gov.in

कुल्लू
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कुल्लू और लाहौल जिला, हिमाचल प्रदेश–175101
Tel- 01902-222378, e-mail: secy-dlsa-kul-hp@gov.in

मंडी
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मंडी, हिमाचल प्रदेश–175001
Tel- 01905-223428, e-mail: secy-dlsa-man-hp@gov.in

शिमला
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–171005
Tel- 0177-2832808, e-mail: secy-dlsa-shi-hp@gov.in

सिरमौर स्थित नाहन
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सिरमौर स्थित नाहन, हिमाचल प्रदेश–173001
Tel- 01702-224749, e-mail: secy-dlsa-sir-hp@gov.in

सोलन
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सोलन, हिमाचल प्रदेश–173212
Tel- 01792-220713, e-mail: secy-dlsa-sol-hp@gov.in

ऊना
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ऊना, हिमाचल प्रदेश–174303
Tel- 01975-225071, e-mail: secy-dlsa-una-hp@gov.in

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

ब्लॉक नंबर 22, एस.डी.ए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी,
शिमला, हिमाचल प्रदेश 171009

e-mail: mslegal-hp@nic.in
दूरभाष: 0177–2623862
फैक्स: 0177–2626962
टोल फ्री: 15100